बिहार सरकार

राज्य स्कीम

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–5 / निदे0–(प्री मैट्रीक)–26–06 / 2015– 17

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार,, पटना ।

पटना, दिनांक– 05.06.17

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम के बजट प्रावधान के अन्तर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति,मुसहर/भुईया, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनु0 जाति छात्रवृत्ति मद में ₹38567.73 लाख (तीन सौ पचासी करोड़ सडसठ लाख तिहत्तर हजार रूपये) एवं अनु0 जनजाति छात्रवृत्ति मद में ₹11440.12 लाख (एक सौ चौदह करोड़ चालीस लाख बारह हजार रूपये) अर्थात कुल ₹50007.85 लाख (पांच सौ करोड़ सात लाख पचासी हजार रू0) मात्र व्यय करने की स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत ।

2– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम के बजट प्रावधान के अन्तर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति, मुसहर/भुईया, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनु0 जाति छात्रवृत्ति मद में ₹38567.73 लाख (तीन सौ पचासी करोड़ सडसठ लाख तिहत्तर हजार रूपये) एवं अनु0 जनजाति छात्रवृत्ति मद में ₹11440.12 लाख (एक सौ चौदह करोड़ चालीस लाख बारह हजार रूपये) अर्थात कुल ₹50007.85 लाख (पांच सौ करोड़ सात लाख पचासी हजार रू0) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– (i) – संलग्न विवरणी–1 में ***अनु0जाति के लिए*** भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के राज्य स्कीम मांग सं0–44 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगेः–

(क)– 197–ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–0101–छात्रवृत्ति/वजीफा – विषय शीर्ष–0101.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन–(विपत्र कोड–44-2225011970101),

(ख) 198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0101–छात्रवृत्ति/वजीफा–विषय शीर्ष–0101.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन– (विपत्र कोड 44-2225011980101),

(ग) 277–शिक्षा–0107–शिक्षा– विषय शीर्ष–0107.34.01– छात्रवृत्ति/वजीफा, (विपत्र कोड–44-2225012770107),

(ध) 277–शिक्षा–0319–पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति–विषय शीर्ष–0319.3401–छात्रवृत्ति/वजीफा–(विपत्र कोड–44-2225012770319), पी0एफ0एम0एस0 कोड–9487

(ii) – संलग्न विवरणी–2 में ***अनु0 जन जाति के लिए*** भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के राज्य स्कीम मांग सं0–44 आय–व्यय शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगे :–

(क) 197–ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–0101–छात्रवृत्ति/वजीफा– विषय शीर्ष–0101.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन–(विपत्र कोड–44-2225021970101)

(ख) 198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0101– छात्रवृत्ति/वजीफा –विषय शीर्ष–0101.3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन–(विपत्र कोड44-2225021980101)

(ग) 277–शिक्षा–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101.34.01–छात्रवृत्ति/वजीफा– (विपत्र कोड–44-2225022770101),

4– इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे। साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए त्रुटिरहित छात्रवृति वितरण सुनिश्चित करेंगे।

5– इस योजना के तहत राशि का व्यय पूर्व से निर्गत विभागीय परिपत्रों एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दिशा–निदेश के आलोक में विद्यालय छात्रवृति का वितरण किया जायेगा।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक 16.05.2016 एवं संकल्प सं0–798 दिनांक–25.03.2017 के आलोक में बैंक खाता के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जिला स्तरीय छात्रवृति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित संस्थान के बैंक खाते में अनिवार्य शुल्क की राशि एवं संबंधित छात्र/छात्रा के बैंक खाता में अनुरक्षण भत्ता की राशि का अन्तरण RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

प्री–मैट्रिक में जितने छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति 75% एवं उससे ज्यादा हो, उसें पूर्व निर्धारित दर पर छात्रवृति दी जाए। छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति की संख्या शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर होगी। जिला कल्याण पदाधिकारी विद्यालय छात्रवृति की राशि की निकासी कर RTGS/NEFT के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी के मांग के आलोक में संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के दिशा–निदेश में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी पूर्व में निर्धारित नियमानुसार छात्रवृति का वितरण सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शिक्षा विभाग के निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर छात्रवार संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति से प्राप्त कर जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी उक्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र को नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7– स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपलब्ध योजना उदव्यय एवं बजट के अर्न्तगत है।

8– जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अवशेष राशि कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।

9– इस राशि की स्वीकृति आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–5/निदे0–(प्री मैट्रीक)–26–06/2015– के पृ0– /टि0 पर प्राप्त है।

10– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

11– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) .6.17
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0–(प्री मैट्रीक)–26–06/2015– 17 पटना, दिनांक 05.06.17

प्रतिलिपि :(1) विवरणी की प्रति के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को विवरणी की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(5) अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0–5(निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) .6.17
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5 / निदे0–(प्री मैट्रीक)–26–06 / 2015– 17 पटना, दिनांक– 05.06.17

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5 / निदे0–(प्री मैट्रीक)–26–06 / 2015– 17 पटना, दिनांक– 05.06.17

प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

विवरणी- 1

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अनु0जाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, मुसहर, भूईयां छात्रवृति मद में पूरे वर्ष के लिए स्वीकृत राशि की विवरणी ।

(राशि लाख में)

कमांक	राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरणी	योजना का नाम	लघु शीर्ष	विपत्र कोड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	0101.31.06	सहायक अनुदान–गैर वेतन	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	44-2225011970101	7710.73
2	0101.31.06	सहायक अनुदान–गैर वेतन	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	198–ग्राम पंचायतों को सहायता	44-2225011980101	13366.00
3	0107.34.01	छात्रवृत्ति/वजीफा	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	277–शिक्षा	44-2225012770107	10425.00
4	0101.31.06	सहायक अनुदान–गैर वेतन	मुसहर/भुईयां	198–ग्राम पंचायतों को सहायता	44-2225011980101	1025.00
5	0107.34.01	छात्रवृत्ति/वजीफा		277–शिक्षा	44-2225012770107	41.00
6	0319.34.01	छात्रवृत्ति/वजीफा	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	277–शिक्षा	44-2225012770319	6000.00
	कुल योग					*38567.73*

(तीन सौ पचासी करोड़ सडसठ लाख तिहत्तर हजार रु0) मात्र।

पत्रांक–17 दिनांक–05.6.17 का अनुलग्नक

allotment-plan-stipend- 17-18

सरकार के सचिव

विवरणी–2.

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अनु0जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति मद में पूरे वर्ष के लिए स्वीकृत राशि की विवरणी ।

(राशि लाख में)

कमांक	राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरणी	योजना का नाम	लघु शीर्ष	विपत्र कोड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	0101.31.06	सहायक अनुदान–गैर वेतन	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	44-2225021970101	2238.00
2	0101.31.06	सहायक अनुदान–गैर वेतन	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	198–ग्राम पंचायतों को सहायता	44-2225021980101	6717.12
3	0101.34.01	छात्रवृत्ति/वजीफा	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	277–शिक्षा	44-2225022770101	1885.00
4	0101.34.01	छात्रवृत्ति/वजीफा	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	277–शिक्षा	44-2225022770101	600.00
	कुल योग					***11440.12***

(एक सौ चौदह करोड़ चालीस लाख बारह हजार रु0) मात्र।

पत्रांक–17 दिनांक–05.06.17 का अनुलग्नक

[signature] 5.6.17.
सरकार के सचिव

allotment-plan-stipend- 17-18